कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी निर्वाचन), रायपुर (छ.ग.)

कृषि उपज मण्डी हेतु मतपत्र मुद्रण निविदा

क्रमांक/ निर्वा./मण्डी./2015 रायपुर, दिनांक 02/03/2015

निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तारीख	12.03.2015 1.00 pm
निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तारीख एवं समय	12.03.2015 3.00 pm
निविदा खोलने की तारीख एवं समय	12.03.2015 4.00 pm
निविदा प्रपत्र क्रं	
मूल्य	500/–
कुल पृष्ठ संख्या	–
जारी दिनांक	02.03.2015
जारीकर्ता–	कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (मण्डी निर्वाचन) रायपुर

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन), रायपुर (छ.ग.)

//निविदा विज्ञापन//

क्रमांक/ निर्वा./मण्डी./2015 रायपुर, दिनांक 02/03/2015

प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड बीज भवन, जी.ई रोड तेलीबांधा रायपुर की ओर से जिला रायपुर में वर्ष 2015 में होने वाले कृषि उपज मण्डी के लिए मतपत्रों के मुद्रण हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है, जिसके संबंध में विवरण निम्नानुसार हैः–

1. निविदा फार्म (जिसका कि मूल्य रूपये 500/– है) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है । निर्धारित फार्म मे भरी निविदाएं कलेक्टर के कार्यालय में दिनांक 12.03.2015 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्राप्त की जाएंगी और उसी दिन अपरान्ह 4:00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदाकारों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जाएंगी ।
2. मुद्रण के लिए कागज की व्यवस्था स्वंय मुद्रक द्वारा की जावेगी ।
3. निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय में उप–जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), रायपुर से सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है ।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी निर्वाचन) रायपुर (छग.)

पृ.क्रमांक/ /निर्वा./मण्डी/2015 रायपुर, दिनांक 02/03/2015

प्रतिलिपि :–

1. प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड बीज भवन, जी.ई रोड तेलीबांधा रायपुर को सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, संवाद को सूचनार्थ। कृपया बहुप्रचारित 3 दैनिक समाचार पत्रों में उक्त विज्ञापन को निःशुल्क प्रकाशित कर समाचार पत्रों की प्रकाशित प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जावें।
3. उप संचालक जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ।
4. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, जिला कार्यालय रायपुर को निविदा प्रपत्र शासकीय बेब साईड में जारी करने हेतु प्रेषित।
5. कलेक्टर जिला .... को सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(मण्डी निर्वाचन) रायपुर (छग)

<u>कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी</u>

<u>(मण्डी निर्वाचन), रायपुर, (छ.ग.)</u>

<u>निविदा प्रपत्र भाग–I</u>

<u>मतपत्र मुद्रण हेतु निविदा प्रपत्र</u>

कृषि उपज मण्डी आम निर्वाचन 2015 के लिये रायपुर जिला हेतु संलग्न सूची अनुसार मतपत्र मुद्रण कराया जाना है, जिसके लिये समस्त मुद्रण एजेंसियों से संलग्न सूची अनुसार मतपत्र मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

<u>निविदा की शर्ते</u>

1. यह दस्तावेज अहस्तातंरणीय है।
2. निविदा प्रपत्र कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), रायपुर से दिनांक **<u>12.03.2015</u>** को दोपहर 1.00 बजे तक रू. 500/– जमा कर प्राप्त किया जा सकेगा।
3. कृषि उपज मंडी आम निर्वाचन 2015 के लिए जिला ..रायपुर. के मंडी क्षेत्रावार तैयार की गई मतपत्र के टंकन एवं मुद्रण हेतु निजी मुद्रणालयों से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। मंडी क्षेत्रवार प्रत्येक समितियों के लिए मतपत्र, प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड रायपुर द्वारा विहित नमूने के अनुसार मुद्रित की जाएगी। मतपत्रो की वास्तविक आवश्यकता की जानकारी, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निग आफिसर के द्वारा मुद्रण आदेश के साथ दी जायेगी। मतपत्रों के मुद्रण में कम्पोंजिग , प्रिंटिंग, नम्बरिंग रिटचिंग और पैकिग का कार्य सम्मिलित होगा।
4. पूर्णतया भरा हुआ निविदा प्रस्ताव दिनांक **<u>12.03.2015</u>** को दोपहर 3.00 बजे तक पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा प्रस्ताव स्पष्ट रूप से पूर्णतया भरा हुआ मुहर बन्द लिफाफे में जमा किया जावें। समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदा प्रस्ताव पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा। उसी दिन शाम 4 बजे गठित क्रय समिति द्वारा निविदाकारों की उपस्थिति में निविदा खोली जावेगी। निविदा सीलबंद लिफाफा जिसमें मतपत्र मुद्रण हेतु निविदा लिखा होना चाहिए।
5. निविदाकार अथवा उनकी ओर से अधिकृत प्रतिनिधि के निविदा प्रस्ताव के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर होना चाहिए।
6. निविदा प्रस्ताव में लिखी गई प्रत्येक प्रविष्ठी स्पष्ट एवं पठनीय होनी चाहिए अंकों में लिखी गई जानकारी शब्दों में भी लिखी होनी चाहिए। निविदा प्रस्ताव में किसी भी प्रकार का काट–छांट होने पर निविदाकार अथवा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।
7. निविदा के लिए रूपये 5000/– (रूपये पांच हजार) की बयाना राशि (earrest money) निर्धारित है। यह राशि ''**कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी)**'' के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा की जा सकती है अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में नगद जमा की जा सकती है, जिसके लिए (सी.जी.टी.सी.–6 फार्म में) रसीद दी जाएगी। **निविदा के साथ बयाना राशि जमा कर दिए जाने के प्रमाण में बैंक ड्राफ्ट या रसीद का संलग्न होना अनिवार्य है। उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।**
8. **निविदा प्रपत्र में :–**

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा अर्थात 07 दिन के भीतर तथा इसके अधीन निश्चित की गई शर्तो पर कृषि उपज मण्डी के मतपत्रो के मुद्रण हेतु जिन मतपत्रो की मुद्रण संख्या 1000 से कम है , का भुगतान 1000 मतपत्र तक मुद्रण हेतु प्राप्त दरो पर सहमति देता हूं। 1000 से अधिक संख्या किंतु पूर्ण हजार से कम मतपत्र मुद्रित करने की स्थिति में प्रति हजार मतपत्रो के मुद्रण के दरो के आधार पर प्रति मतपत्रो के मुद्रण के दरो के अनुसार प्रति मतपत्र दर ज्ञात कर भुगतान प्राप्त देने/करने की सहमति देता हूं ।

(i) मतपत्र में अभ्यथिया के नाम 16 पाइन्ट हिन्दी टाईप में 10 एम.मेजर में मुद्रित किए जाएगे ।

टेबल टांप तथा आफसेट मशीन से मुद्रित होने वाले मतपत्रों में टाईप का साईज भी यही रहेगा।

(ii) नामो की संख्या के अनुसार विभिन्न मतपत्रो का आकार साईज दर्शाने वाला पत्रक अनुलग्न –

एक संलग्न है ।

(iii) मुद्रित किए जाने वाले मतपत्रो के नमूने संलग्न है । मतपत्रों मे वे सभी प्रविष्टिया रहेगी जो इनमें दर्शाई गई है। केवल दो अभ्यर्थियों के नामो और प्रतिको के खानो के बीच में एक निश्चित फासला(गैप)छोडने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले शेडेड बार्डर का डिजाइन भिन्न हो सकता हैं।

(iv) एक शीट (59 से.मी. X 84 से.मी.) या (59 से.मी. X 59 से.मी.) मे छापे जा सकने वाले मतपत्रो की संख्या का विवरण दर्शाने वाला पत्रक संलग्न है।

9. कलेक्टर एवं जिला निर्चाचन आधिकारी(मंडी निर्वाचन) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो कि सामान्यता रिटर्निग आफिसर या सहायक रिटर्निग आफिसर होगा) के द्वारा मतपत्रो की प्रुफ रीडिंग कर लेने के बाद ही मुद्रण कार्य प्रारंभ किया जावेगा । हर हालत में त्रुटि रहित और साफ–सुथरे मुद्रण के लिए मुद्रक उत्तरदायी होगा।

10. (i) मतपत्रो का मुद्रण निविदा प्रपत्र में संलग्न कागज के नमूना अनुसार ही किया जाएगा।

(ii) यदि कागज कार्यालय से दिये जाने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन से मुद्रणालय तक कागज की ढुलाई के लिए मुद्रक को कोई भाडा देय नही होगा, मुद्रण कार्य पूर्ण हो जाने पर मुद्रक द्वारा शेष बचा कागज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन को वापस किया जाना होगा और उसकी ढुलाई के लिए भी खर्च देय नही होगा।

11- शेडेड बार्डर, रूल, डाटेड रूल, टाईप हाई नंबरिंग एवु रिटचिंग के लिए स्टेपलर आदि की व्यवस्था मुद्रक को स्वंय करनी होगी ।

12. निविदा संलग्न ''निविदा प्रपत्र'' में ही भरकर प्रस्तुत की जाए। निर्धारित प्रपत्र से भिन्न किसी अन्य प्रकार के फार्म में प्रस्तुत की गई निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। ''निविदा प्रपत्र'' में यह सब जानकारी पूर्णरूपेण और सही–सही भरी जानी जाहिए, जो वांछित है। उसके अभाव में या अपूर्ण होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

13. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए, स्वीकार या अस्वीकार कर दें।

14. सफल निविदाकारों को आगे की औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय मे बुलाया जाएगा, जहां उसे सूचना प्राप्त होने के तीन दिवस के भीतर **निर्धारित प्रपत्र मे करारनामा भरकर प्रस्तुत करना होगा तथा साथ में, प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिस्ट) के तौर पर रूपये 10000/– (रूपये दस हजार) की राशि जमा करनी होगी**, यह राशि पूर्व में जमा की गई रूपये 5000/– (रूपये पांच हजार) की बयाना राशि के अतिरिक्त होगा। इस प्रकार कुल राशि 15000/– जमा करनी होगी । जमानत की यह राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी किए गए अविखण्डनीय बैंक गारन्टी या नगदी में जमा कराई जा सकती हे। यदि निविदाकार डी.डी. या एफ.डी. निर्धारित समय के अन्दर ऐसा करने में असफल रहा तो बयाने की राशि राजसात कर ली जावेगी और कार्य किसी अन्य निविदाकार को सौंप दिया जाएगा।

15. कार्य ठीक से और समय पर पूर्ण कर सकने के बाबत् मुद्रणालय की क्षमता के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा। सीमित समय और मुद्रण कार्य के आकार का ध्यान में रखते हुए कार्य एक से अधिक मुद्रणालयों को सौपा जा सकेगा ।

16. सौंपे गये मंडी अथवा एक से अधिक मंडियों की मतपत्र के मुद्रण के लिए केवल 07 दिन का समय दिया जाएगा। यह अवधि कार्य आदेश दिये जाने की तारीख के अगले दिन से गिनी जाएगी। मतपत्रो का मुद्रण पूर्ण होने की तारीख वह मानी जाएगी जबकि मुद्रित मतपत्रो का आखिरी पैकेट प्राधिकृत अधिकारी को सौपे जाने अथवा डिस्पैच किए जाने के लिए तैयार हो जाए। इस संबंध में मुद्रण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तैनात प्रभारी अधिकारी का अभिकथन अंतिम और निश्चयात्मक होगा ।

17. यदि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को ऐसा लगे कि मुद्रक निर्धारित समयावधि में उसे दिये गया कार्य पूरा नही कर पाएगा तो वह कार्य को पूर्णतः या अंशतः उससे तत्काल वापस ले सकेगा और अन्यत्र करा सकेगा। इस पर जो भी अतिरिक्त व्यय आएगा वह त्रुटिकर्ता मुद्रक से वसूल किया जाएगा। अतिरिक्त व्यय के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारक होगा।

18. मतपत्रो का मुद्रण पूरा हो जाने के बाद उन्हें प्राधिकृत अधिकारी को सौपे जाने या डिस्पैच कर दिए जाने तक मुद्रणालय द्वारा अन्य किसी पार्टी का कार्य नही किया जाएगा ।

19. मतपत्रो की छपाई के दौरान मुद्रणालय पर समुचित पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी मुद्रण को की गई सुरक्षा वयवस्था के अन्तर्गत ही मतपत्रो के मुद्रण का कार्य सम्पन्न कराना होगा ।

20. मुद्रक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को मुद्रित मतपत्र सौंप दिए जाने या उन्हें डिस्पैच करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर, किए गए कार्य की 90% राशि का भुगतान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तुरंत किया जाएगा। शेष 10% राशि का भुगतान कार्य पूर्ण हो जाने तथा प्रदाय किए गए कागज के हिसाब के साथ बचा हुआ कागज वापस कर दिये जाने तथा मुद्रण कार्य में विलम्ब आदि के कारण, किसी प्रकार पेनाल्टी उदग्राहय न होने ककी तस्दीक करने के बाद यथाशीघ्र किया जाएगा ।

21. कार्य समय पर पूरा न करने और बचा हुआ कागज वापस न करने के लिए निम्नांकित दरो पर पेनाल्टी लगाई जाएगी :–

(i) सफेद कागज के लिए रू. 1278.00 (एक हजार दो सौ अठ्हत्तर) प्रति रीम या रूपये 2..56 प्रति शीट की दर से ।

(ii) नीले, पीले और गुलाबी कागज के लिए रू. 1342.00 (एक हजार तीन सौ बयालिस) प्रतिरीम या रूपये 2.68 प्रतिशीट की दर से ।

(iii) बचा हुआ कागज वापस नही किये जाने तथा मुद्रण कार्य में विलम्ब के लिए रू. 2000.00 प्रतिदिन ।

22. स्वीकृत निविदा की दर एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी। परन्तु प्रबंध संचालक मण्डी बोर्ड रायपुर की अनुमति से उन्हे और एक वर्ष के लिए बढाया जा सकेगा ।

23. निविदा के साथ प्रत्येक मतपत्र का नमूना प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
24. प्रदाय की गई कोई भी मतपत्र नमूने के अनुसार न होने अथवा निम्न स्तर के होने या कम होने की दशा में मतपत्र निविदाकार को स्वयं के व्यय पर वापिस उठानी होगी।
25. मतपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय रायपुर में पहुंचाना होगा। मांग पत्र के अनुसार मतपत्र प्रदाय न करने की दशा में मतपत्र अन्य निर्माताओं के क्रय की जावेगी तथा उस पर होने वाली आर्थिक क्षति की रकम निविदाकर्ता की डिपाजिट राशि में से अन्यथा भू–राजस्व की वसूली की भांति वसूल की जावेगी।
26. निविदाकार के फार्म के मालिक/साजेदार/संचालक का विवरण संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगें।
27. नगर निगम (नगरीय निकायो) से रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगें।
28. जिस निविदाकार का अधिकतम दरें न्यूनतम पाई जावेगी उस निविदाकार की निविदा को न्यूनतम निविदाकार के रूप में स्वीकृत करने का अधिकार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) रायपुर को होगा।
29. देयकों का भुगतान ई पेमेन्ट के माध्यम से किया जावेगा, फलस्वरुप देयक के साथ पेन नंबर एवं बैंक खाता नंबर संलग्न करने होगें।
30. सफल निविदाकार को अपने एवं अपने अधिकृत व्यक्ति का मोबाईल नंबर एवं अन्य जानकारी कार्यालय में जमा करवाने होगें।
31. निविदाकार को भुगतान के समय आयकर, वाणिज्यकर एवं अन्य करों की नियमानुसार कटौति की जावेगी।
32. पेन नम्बर की प्रमाणित प्रति जमा करना होगा।
33. इस निविदा प्रपत्र में तीन भाग है, भाग I, II, III, (भाग I में निविदा का पूर्ण विवरण है, निविदाकार इस भाग का भलीभांति अध्ययन कर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगें। भाग II जिसमें निविदाकार का योग्यता के साथ पूर्ण जानकारी का उल्लेख किया जावे तथा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करेगें। भाग III में निविदाकार द्वारा अंकों एवं शब्दों में प्रत्येक कार्य का पृथक–पृथक दर एवं संसाधनों का उल्लेख किया जाकर हस्ताक्षर किये जायेगें।)

34. निविदाकार द्वारा अपना निविदा प्रस्ताव मूल फार्म में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। निविदा प्रस्ताव A B C एवं D नामक चार मुहर बंद लिफाफा में निम्ननुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिएः –

क्र.	लिफाफा	लिफाफा में भरे जाने वाली सामाग्री
1	A	भाग–I पूर्णतया हस्ताक्षरित
2	B	भाग–II (Part-II) पूर्णतः भरकर हस्ताक्षरित एवं अमानत राशि का बैक ड्राफ्ट
3	C	भाग–III (जिसमें निविदा दर अंकित किया जावेगा)
4	D	A B C तीनों लिफाफे

उपरोक्त सभी लिफाफे मुंहर बंद किया जाकर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) के कार्यालय में जमा किया जाना है।

35. लिफाफा "A" समिति द्वारा सर्वप्रथम खोला जावेगा इसमें भाग–। पूर्णतः हस्ताक्षरित एवं सही पाये जाने पर लिफाफा "B" खोला जावेगा। लिफाफा "A,B" सही पाये जाने पर ही अन्त में लिफाफा "C" भाग III (दर सूची) खोला जावेगा।

36. निर्धारित तारीख एवं समय में सभी मुंहर बंद लिफाफा को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) रायपुर द्वारा नियुक्त कमेटी द्वारा संबंधित निविदाकारों की उपस्थिति में खोला जावेगा। कमेटी समस्त पात्र निविदाकारों द्वारा प्रस्तुत निविदा दर का तुलना करने के उपरांत न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले योग्यतम निविदाकार का चयन करेगी। कमेटी के निर्णय ही अंतिम माना जायेगा।

37. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन) रायपुर आवश्यकता पड़ने पर दर कम करने के लिए पात्र निविदाकारों को नेगोशियेसन हेतु आमंत्रित कर सकेगा। सफल निविदाकार को निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर निर्धारित अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

38. चयनित निविदाकार को निविदा स्वीकृति के एक सप्ताह के भीतर प्रदाय आदेश अनुसार सम्पूर्ण सामग्री प्रदाय करने होगें।

39. संबंधित निविदाकार द्वारा निविदा शर्त अथवा उनके द्वारा निष्पादित अनुबंध के किसी शर्त के उलघंन के लिए उनके द्वारा जमा सुरक्षा राशि पूर्णतः या भागतः राजसात किया जाएगा तथा उनका अनुबंध निरस्त किया जावेगा।

विवाद की स्थिति में :–

1. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी निर्वाचन), रायपुर का निर्णय अंतिम होगा। जो कि निविदाकार के लिए मान्य एवं बन्धनकारी होगा।
2. चूंकि यह निविदा रायपुर में होगा अतः किसी भी न्यायालीन विवाद हेतु कार्यक्षेत्र रायपुर के भीतर होगा।

संलग्न :–

1. पार्ट II एवं III
2. निविदा प्रपत्र ।
3. मतपत्रो का आकार (साइज) दर्शाने वाला पत्रक
4. मतपत्रो के नमूने
5. एक शीट में छापे जा सकने वाले मतपत्रो की संख्या दर्शाने वाला पत्रक

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मण्डी निर्वाचन) रायपुर

भाग–II (Part-II)

1) Details of the Tenderer
   a) Name of Tenderer (capital letters only)..
      ....
   b) Consistency of the Tenderer (Whether company, partnership, firm or proprietary concern)...
      ....
   c) Registration in corporation of the form ....
   d) TAN NO ....
   e) PAN NO ....
2) Address (capital letters only) ....
   ....
   ....
   ....
3) Service Tex No. ....
4) Registration No. ....
5) Telephone/Fax no ....
6) Details of Experience having for similar type of work ....
   ....
7) Demand draft Details (for earnest mony deposit)
   a) Amount in (figures)..
   b) Amount (in words) ....
   c) Drawn at (including Name and Branch of the bank)...
      ....
   d) Draft no ....
   e) Draft date ....

I/We agree to accept the Rubber Seal Supply work as per the rates given in part III and in accordance with the JOB SPECIFICATION and TERMS & CONDITION as laid out in the tender document.

Place:
Date:

Singnature
(Name Designation and Office seal
of the authorized Person)

भाग— III

मण्डी निर्वाचनं के मतपत्रों के मुद्रण हेतु दर सूची

क्र.	अभ्यर्थियों की संख्या आधार पर मतपत्रों का वर्गीकरण काउण्टर फाईल सहित	ईकाईयां के लिये दरे		रिमार्क
		1000 मतपत्र तक मुद्रण की दरें	1000 से ऊपर के मुद्रण हेतु प्रति हजार मतपत्र की दरें	
1	2	3	4	5
1	दो नाम (6.5"X3.5")			1. जिन मतपत्रों की मुद्रण संख्या 1000 से कम है का भुगतान 1000 मतपत्र तक मुद्रण हेतु प्राप्त दरों पर किया जावेगा। . 2. 1000 से अधिक संख्या परंतु पूर्ण हजार से कम मतपत्र मुद्रित किये जाने की स्थिति में प्रति हजार मतपत्रो की दरों के आधार पर प्रति मतपत्र दर ज्ञात कर भुगतान किया जा सकेगा।
2	तीन नाम (8"X3.5")			
3	चार नाम (9.5"X3.5")			
4	पांच नाम (11"X3.5")			
5	छः नाम (12.5"X3.5")			
6	सात नाम (14"X3.5")			
7	आठ नाम (15.5"X3.5")			
8	नौ नाम (17"X3.5")			
9	दस नाम (11"X7.5")			
10	ग्यारह नाम (12.5"X7.5")			
11	बारह नाम (12"X7.5")			
12	तेरह नाम (14"X7.5")			
13	चौदह नाम (14"X7.5")			
14	पन्द्रह नाम (15.5"X7.5")			
15	सोलह नाम (15.5"X7.5")			
16	सत्रह नाम (17"X7.5")			
17	अट्ठारह नाम (17"X7.5")			

टीप :— नम्बरिंग काउण्टर फाईल एवं मतपत्र में एक जैसा ही रहेगा।

दिनांक ....

निविदा का हस्ताक्षर ....

एवं सील ....

अनुलग्नक–एक

मतपत्रों का आकार (साइज) दर्शाने वाला पत्रक

नामो की संख्या के अनुसार मतपत्रों का आकार (साईज) निम्नानुसार होगाः–

दो नाम	6.5"X3.5"
तीन नाम	8"X3.5"
चार नाम	9.5"X3.5"
पांच नाम	11"X3.5"
छः नाम	12.5"X3.5"
सात नाम	14"X3.5"
आठ नाम	15.5"X3.5"
नौ नाम	17"X3.5"
दस नाम	11"X7.5"
ग्यारह नाम	12.5"X7.5"
बारह नाम	12"X7.5"
तेरह नाम	14"X7.5"
चौदह नाम	14"X7.5"
पन्द्रह नाम	15.5"X7.5"
सोलह नाम	15.5"X7.5"
सत्रह नाम	17"X7.5"
अट्ठारह नाम	17"X7.5"

टीपः– मुद्रणालयों में सामान्यतः लम्बाई–चौड़ाई बताने क लिये अभी भी फिट और इंच का प्रयोग किया जाता है । इस बात को ध्यान में रखकर ही मतपत्रों का आकार इंचो में दर्शाया गया है । स्केल –1=2.56 से.मी.।

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

(मण्डी)जिला रायपुर

निविदा–प्रपत्र भाग–।।
(वेंडर डिटेल्स)

निविदा फार्म क्रमांक ....

निविदा प्रपत्र खरीदी की रसीद का क्रमांक......................दिनांक.......................
प्रति,

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(मंडी), जिला..रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय :–मंडी निर्वाचन 2015 हेतु मतपत्र मुद्रण हेतु निविदा।

संदर्भ :–निविदा सूचना क्रमांक..............................दिनांक......................

महोदय,

विषयान्तर्गत निविदा सूचना के संदर्भ में, मै/हम जिला...रायपुर......के मंडी क्षेत्रानुसार मतपत्र के मुद्रण के लिए भाग–।।। में दरें अंकित (Quote) करता हूं/करते है :–

2. मैने/हमने मंडी की मत्रपत्रो के मुद्रण के लिए शर्ते और अनुदेश पढ़ लिये हैं और मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हैं।

3. मेरे/हमारे मुद्रणालय के संबंध में आवश्यक जानकारी निम्नानुसार है :–

(1) मुद्रणालय (प्रेस) कम्प्यूटर संस्थान का विवरण :–

(I) नाम	....
(II) स्वयं के नाम पर है या नहीं	....
(III) यदि स्वयं के नाम पर नहीं है तो :	....
(क) भागीदार का स्वरूप	....
(ख) भागीदारों के नाम	1...
(वल्दियत और पते सहित)	2...
	3...
(IV) मुद्रणालय का डाक का पता :–	....
	....
	....
(V) व्यक्तिगत फोन नंबर/मो.नंबर	....

2. मुद्रणालय में उपलब्ध 16 पाइन्ट हिन्दी टाईप की मात्रा .... किलो
3. मुद्रणालय में उपलब्ध स्पेसिंग मेटेरियल .... किलो
4. टाईप हाई नम्बरिंग मशीनो की संख्या ....
5. स्टेपलर/स्टिचिंग मशीनो की संख्या ....
6. हैन्ड नम्बरिंग मशीनो की संख्या ....
7. उपलब्ध मुद्रण मशीनो का विवरण ....

(I) मिनी आफसेट मशीनो की संख्या ....

(II) टेबल टॉप मशीनो की संख्या ....

(III) डी.टी.पी. मशीनो की संख्या ....

(I) अन्य मुद्रण मशीनो /उपकरणो की संख्या तथा विवरण . ...

8. मुद्रणालय में विगत छः माह से निरंतर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या :–

(क) कुशल मशीन आपरेटर की संख्या ....

(ख) अर्द्ध कुशल मशीन आपरेटर की संख्या ....

(ग) कुशल कप्यूटर आपरेटरो की संख्या ....

(घ) हेण्ड नम्बरेटरो की संख्या ....

(डा) मुद्रणालय से संबंधित विगत माहो ....

3. (I) मुद्रणालय से सम्बन्धित विगत माह के बिजली बिल की कापी (मूल रूप में) फोटो कापी संलग्न है।

(II) रू. 5000/– की बयाना राशि से संबंधित :

बैंक ड्राफ्ट (नम्बर ....)

दिनांक ....बैंक....................................

या

रसीद (क्रमांक...................................) दिनांक ....संलग्न है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार–

(I) बिजली बिल

(II) बयाना राशि का ड्राफ्ट/रसीद

हस्ताक्षर...

नाम...
(मालिक/भागीदार/मैनेजर)
पता ....
....
दूरभाष एवं मो. नं.............................

मतदाता सूची के मुद्रण हेतु अनुबंध (करारनामा)

आज दिनांक..........................माह.................सन्........................को प्रथम पक्षकार जिसमें उनके उत्तराधिकारी भी शामिल हैं, मुद्रक मैसर्स ....जिन्हें एतद् पश्चात् मुद्रक कहा जाएगा और द्वितीय पक्षकार प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड रायपुर जिसे एतद् पश्चात मण्डी बोर्ड कहा जाएगा, मंडी बोर्ड की ओर से और आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी .रायपुर द्वारा जिला रायपुर के लिए इस अनुबंध का निष्पादन किया जा रहा है।

यह कि प्रथम पक्षकार की निविदा स्वीकार हो चुकी है और यह कि प्रथम पक्षकार इस कार्य के निष्पादन हेतु अनुबंध करने को इच्छुक है।

और यह कि प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) के रूप में 10000/–रू. (बयाने की राशि को छोडकर करते हुए) अविखण्डनीय बैंक प्रतिभूति/नगद राशि प्रथम पक्षकार द्वारा पृथक से जमा की जावेगी।

अतएव निम्नलिखित शर्तो पर उभय पक्षकार सहमत है :–

1. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा अर्थात 07 दिन के भीतर तथा इसके अधीन निश्चित की गई शर्तो पर कृषि उपज मण्डी के मतपत्रो के मुद्रण हेतु जिन मतपत्रो की मुद्रण संख्या 1000 से कम है , का भुगतान 1000 मतपत्र तक मुद्रण हेतु प्राप्त दरो पर सहमति देता हूं। 1000 से अधिक संख्या किंतु पूर्ण हजार से कम मतपत्र मुद्रित करने की स्थिति में प्रति हजार मतपत्रो के मुद्रण के दरो के आधार पर प्रति मतपत्रो के मुद्रण के दरो के अनुसार प्रति मतपत्र दर ज्ञात कर भुगतान प्राप्त देने/करने की सहमति देता हूं ।

2. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार को कार्य सौंपे जाने (अर्थात् मुद्रण आदेश दिए जाने) की तारीख के अगले दिन से समय की गणना प्रारंभ होगी। मतपत्रो के मुद्रणहेतु कलेक्टर द्वार निर्धारित समय सीमा अंतिम होगा । कार्य तब तक पूरा नही माना जावेगा जब तक मुद्रिक मतपत्रो का आखरी पैकेट संबंधित अधिकरियेां को सौप दिया जाए । समय सीमा इस अनुबंध का आवश्यक तत्व है।

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मत्रपत्रो के मुद्रण हेतु (कागज सहित दर की स्वीकृति न होने पर) कागज आवश्यक मात्रा में प्रथम पक्षकार को बिना मुल्य में जमा कराये, प्रदान किये जाएगे। तथा कागज की खपत की गणना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के आकलन के अनुसार किये जाने पर शेष बजे कागज प्रथम पक्षकार द्वारा द्वितीय पक्षकार को वापस किया जावेगा । सफेद कागज के लिए रूपये 1278.00 प्रति रीम एवं कलर पृष्ठ के लिए 1342.00 रूपये प्रति रीम की दर 2014–15 मे प्रदाय किये गये कागज के मामले में मानी जाएगी। यदि अनुबंध की अवधि में उभय पक्षकारो की सहमति से वृद्वि की गई तो कलेक्टर एंव जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस दर में की गई वृद्धि प्रथम पक्षकार को मानय होगी।

4. प्रथम पक्षकार को प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की राशि, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी) के द्वारा यह प्रमाणित कर दिए जाने के पश्चात् ही वापस की जायेगी कि अनुबंध का पूर्णरूपेण तथा सम्यक् रूप से पालन किया जा चुका है और यह भी मुद्रण कार्य के संबंध में प्रथम पक्षकार से कोई राशि लेना शेष नहीं है।

6. (1) मतपत्रो में अभ्यथियों के नाम 16 पाइंट हिन्दी टाईप, 10 एम. मेजर में मुद्रित किए जाएगें। टेबल टॉप मशीन टॉप मशीन से कोई राशि लेना शेष नही है।

(2) नामो की संख्या के अनुसार मतपत्रो का आकार साईज पूर्व के अनुसार रहेगा ।

(3) कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार को दो, तीन,दस एवं ग्यारह नामो वाले मतपत्रों के नमूने कार्यादेश के साथ उपलब्ध कराए जाएगे। उन्ही के अनुसार मतपत्रो का मुद्रण किया जाना होगा ।

7. मतपत्रो का मुद्रण कार्य तभी प्रारंभ किया जाएगा जबकि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो कि सामान्यता रिटर्निंग आफिसर या सहायक रिटर्निंग आफिसर होगा) के द्वारा मतपत्रो के प्रुफ का अनुमोदन कर दिया गया हो। यदि मतपत्रो में किसी अभ्यर्थी का नाम, निर्वाचन प्रतीक अथवा अन्य कोई प्रविष्टि अनुमोदित प्रुफ से भिन्न होना पाई गई या उनमें नम्बरिंग में कोई त्रुटि पाई गई तो प्रथम पक्षकार को अपने व्यय पर मतपत्रों का पुनः मुद्रण करना होगा। अनुमोदित प्रुफ की प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रति प्रथम पक्षकार द्वारा अपने अभिलेख (रिकार्ड) में सुरक्षित रखी जाएगी।

8. मतपत्रों के मुद्रण के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को निर्वाचन नियम के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पक्षकार को उपलब्ध कराए जाएगे। इन प्ररूपो के लिए निर्वाचन लडने वाले अभ्यार्थियों के नाम और निर्वाचन प्रतीक जिस प्रकार दर्ज हो ठीक उसी रूप में वे मतपत्रो में मुद्रित किए जाएगे। साथ ही उपरोक्त अधिकारियों द्वारा प्रथम पक्षकार को यह सूचित किया जाएगा कि किस मण्डी के लिए कितने मतपत्र मुद्रित किए जाने है और उनमें नम्बरिंग किस प्रकार की जानी है।

9. प्रथम पक्षकार उसे सौंपा गया मुद्रण कार्य या उसका कोई भाग अभिहस्तांतरित नही करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को नही देगा या अंतरित नही करेगा या अनुबंध के पालन के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने साथ सम्मिलित नही करेगा और न ही मुद्रण कार्य का कोई भाग किसी अन्य मुद्रणालय में करवाएगा।

10. मतपत्रों का मुद्रण सर्वथा गोपनीय ढंग से और उन निर्देशो के अनुसार किया जाएगा जो कि कृषि उपज मण्डी अथवा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रथम पक्षकार को दिए जाए।

गोपनीय बनाये रखने संबंधी चिन्हित बिन्दुओ का विवरण

1. मतपत्र मुद्रण की अवधि में मुद्रणालय पूर्णतः जिला प्रशासन के अधिपत्य में होगा ।
2. इस अवधि में किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसको जिलाध्यक्ष द्वारा अधिकृत न किया गया हो, का मुद्रणालय में प्रवेश वर्जित होगा ।
3. मुद्रणालय में कार्यरत स्टाफ उनके निवास स्थान एवं पते की सूचना मुद्रक को सत्यापित करके देनी होगी तथा इनका चिरित्र तथा राजनैतिक दलो से असम्बद्धता को भी प्रमाणित करना होगा ।
4. मतपत्र के मुद्रण की अवधि में मुद्रण द्वारा कोई भी अन्य कार्य नही किया जावेगा। तथा पूर्व में सम्पादित हुए कार्य जो कि चुनाव से संबंधित नही है को मुद्रणालय से हटवाना होगा ।
5. मुद्रणालय मे मतपत्र के मुद्रण हेतु पाबन्द अधिकारी/कर्मचारी को बैठने की तथा अन्य व्यवस्था मुद्रक को स्वयं करनी होगी ।
6. मुद्रक को मतपत्र से संबंधित प्लेटस, नेगेटिव फ्लापी इत्यादि को काय्र समाप्ति के उपरांत कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी(स्थानीय निर्वाचन) के प्रतिनिधि को सौपना होगा तथा मशीन के मेमोरी में संग्रहित मतपत्र के मैटर को मशीन से वाश करना होगा ।
7. मुद्रण अवधि में तैनाव सुरक्षा बल को किसी भी समय शक होन पर पडताल एवं तलासी करने का पूर्ण अधिकार होगा ।
8. मुद्रक को यह वचन देना होगा कि कार्य की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होंगे तथा इसमें किसी प्रकार की विफलता एवं चूक के लिए उनके विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करने का वचन देना होगा ।
9. मुद्रक को प्रदायित कागज का पूर्ण हिसाब प्रस्तुत करना होगा जिसमें मतपत्र के उपयोग में आये कागज के अतिरिक्त वेस्टेज का हिसाब सम्मिलित होगा ।

11. मुद्रण हेतु शेडेड बार्डर, रूल, डौटेड रूल, टाइपहाई नम्बरिंग हैण्ड नम्बरिंग और रिटचिंग की व्यवस्था प्रथम पक्षकार को करनी होगी ।

12. प्रथम पक्षकार द्वारा मुद्रित मतपत्रों को तैयार करके उन्हें प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों का मतपत्रो की गिनती और जांच के कार्य में आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराएगा। मतपत्र मुद्रित प्रपत्र कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सौपें जायेगे अन्य किसी को नही । मतपत्रों की गिनती में आवश्यक सुविधा कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का उपलब्ध कराया जायेगा ।

13. मुद्रणालय में मतपत्रो का मुद्रण कार्य पूर्ण हो जाने तथा उन्हें प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिए जाने के पश्चात जो कतरने खराब मतपत्र आदि स्वीपिंग्स हो, उन्हें पथम पक्षकार द्वारा मुद्रणालय में तैनात प्रभारी अधिकारी के समक्ष जलाकर नष्ट किया जाएगा।

14. कागज, प्रथम पक्षकार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) के कार्यालय से अपने मुद्रणालय तक स्वयं के व्यय से ले जाना होगा और उसकी ढुलाई के लिए कोई भाडा देय नही होगा। मुद्रण कार्य पूर्ण हो जाने पर शेष बचा हुआ कागज प्रथम पक्षकार द्वारा अपने खर्च पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन के कार्यालय में अविलम्ब जमा कराया जाएगा।

15. यदि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को किसी भी स्टेज पर ऐसा लगे कि प्रथम पक्षकार को सौपा गया कार्य वह समय पर पूरा नही कर पाएगा तो वह कार्य को पूर्णताः या अशंतः उससे वापस ले सकेगा और कार्य अन्यत्र करा सकेगा। ऐसे कार्य को पूरा कराने में हुए समस्त अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्रथम पक्षकार जिम्मेदार होगा । अतिरिकत व्यय के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) का विनिश्चय अंतिम एंव बंधनकारक होगा।

16. प्रथम पक्षकार को मुद्रण कार्य के लिए स्वीकृत दरों क अतिरिक्त कोई परिश्रमिक या अन्य व्यय देय नही होगा।

17. कोई भी धनराशि जो कि प्रथम पक्षकार से इस करार के अधीन वसूली योग्य हो प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) अथवा मुद्रण देयक की अवशेष राशि में से काटी जा सकेगी। यदि ऐसा करने के पश्चात भी कुछ राशि शेष रहे तो प्रथम पक्षकार से यह मांग की जा सकेगी कि वह उसका भुगतान 6 दिन के भीतर कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को कर दे। ऐसा न किये जाने पर अवशेष राशि की वसूली भू–राजस्व के बकाया की भांति की जा सकेगी ।

18. प्रथम पक्षकार को जब भी ऐसा करने के लिए कहा जाए वह हस्तगत कार्य के संबंध में द्वितीय पक्षकार को पूरी जानकारी देगा और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)या उसके द्वारा मुद्रण कार्य के पर्यवेक्षण के लिए नियुक्ति प्रभारी अधिकारी या अन्य समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को वांछित सहयोग देगा ।

19. प्रथम पक्षकार द्वारा मुद्रण देयक प्रस्तुत करने क तुरंत बाद उसकी जांचकर यथा सम्भव एक सप्ताह के अंदर देय राशि का 90 प्रतिशत भाग का भुगतान कर दिया जाएगा। शेष 10 प्रतिशत राशि का भुगतान बचे हुए कागज लौटाए जाने के बाद और की जाने वाली कटौती (यदि कोई हो) के समायोजन के उपरान्त यथाशीघ्र किया जाएगा। साथ ही उसे प्रतिभूति निक्षेप (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की राशि बयाने की राशि सहित लौटा दी जाएगी ।

20. यदि प्रथम पक्षकार द्वारा कंडिका–2 के अंतर्गत निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नही किया गया तो उस पर प्रत्येक दिन के विलंब के लिए रूपये 2000/– की दर से अर्थदण्ड (पेनाल्टी) अधिरोपित किया जाएगा।

21. प्रथम पक्षकार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा मुद्रणालय पर की गई सुरखा व्यवस्था मे रहकर मुद्रण कार्य करेगा एवं किसी भी बाहरी या असंबद्ध व्यक्ति को मपत्रो के मुद्रण के समय मुद्रणालय में प्रवेश नही देगा ।

22. इस अनुबंध की अवधि अनुबंध निष्पादित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी तथा उभ्य पक्ष की सहमति से इसे आगमी वर्षो के लिए भी बढाया जा सकेगा ।

23. प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध की किसी शर्त का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा ।

गवाह :–

1..	1.................................... मुद्रक (प्रथम पक्षकार)
2..	2 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थान	जिला रायपुर
दिनांक	(द्वितीय पक्षकार)